


43

M-5068 11/16

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, म.प्र.



श्री. सुनील कुमार सिंगरौल एड.  
द्वारा आज दिनांक 11-2-16  
प्रस्तुत किया गया S. 200 P. 11/16  
रीवा  
सर्किट कोर्ट रीवा

विनोद

— आवेदिका

बनाम

विजय वगैरह

— अनावेदकगण

आवेदन पत्र बावत प्रकरण को पुनर्स्थापित कर  
सुनवाई में लिये जाने बावत

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म.प्र. भू-रा.सं.

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं:-

- 1- यह कि उक्त उन्मान का प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जो आज दिनांक को नियत था।
- 2- यह कि आवेदक/अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण पुकार के समय मान्. न्यायालय के समक्ष उप. नहीं हो सके, ऐसी स्थिति में मान्. न्याया. द्वारा प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।
- 3- यह कि आज ही पुनर्स्थापन बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जानबूझकर उपो हेतु लापरवाही नहीं की गई है, बल्कि पुकार के समय अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण अधिवक्ता उपो नहीं हो सके, ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनर्स्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा आवेदक को अपूर्तनीय क्षति होगी और आवेदक न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा।

अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण को पुनर्स्थापित कर पुनः सुनवाई किये जाने की महान कृपा की जाय।

आवेदक

विनोद

द्वारा/अधि.

दिनांक-11.2.16

सुनील कुमार सिंगरौल, एड. रीवा

12-2-16

- 1- प्रकरण प्रस्तुत।
- 2. आवेदन की ओर से श्री सुनील कुमार सिंगरिया एड. उपा।
- 3. आवेदन अधिभाषक के तब मुल प्रकरण क्रमांक R. 1666-सीन 113 अदम चेरबी दिनांक 11-2-16 के पुनर्स्थापन आवेदन पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया।
- 4. अनार्वेस्ट अधिभाषक श्री अजनी सोनी व्यापार में उपास्थित रहे किन्तु पुनर्स्थापन आवेदन की प्रति प्राप्त करने से इंकार किया।
- 5. आवेदन अधिभाषक द्वारा वसूला गया कि मुल प्रकरण में दिनांक 11-2-16 को उपास्थित होने में जालबन्धक लापरवाही नहीं की गयी है। धातु प्रकाश के समय अन्य व्यापार में व्यस्त होने के कारण उपास्थित नहीं हो सका। यदि आवेदन अधिभाषक द्वारा दिनांक 11-2-16 को पुनर्स्थापन आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा अनार्वेस्ट अधिभाषक श्री अजनी सोनी को इसकी जालकारी गयी तथा उन्होने आवेदन की प्रति प्राप्त नहीं की गयी। - आवेदन द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन आवेदन दिनांक 11-2-16 समय-सीमा में प्रस्तुत किया गया है। अतएव मुल प्रकरण क्रमांक R-1666-सीन 113 अदम चेरबी दिनांक 11-2-16 पुनः नम्बर में लिफाफा है। तदनुसार मुल प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जाये।
- 6. प्रकरण पजी से लमाद निकाल द. है।

सदस्य